पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : http:/www.pfcindia.com

सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862

दिनांक 30 जून 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(

विवरण		समाप्त होने वाली तिमाही के लिए			समाप्त वर्ष
		30-06-2016	31-03-2016	30-06-2015	31-0
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अं
प्रचालन से होने वाली आय					
(क)	ब्याज से होने वाली आय	7,072.05	6,608.14	6,709.32	
(ख)	अन्य प्रचालन आय	33.55	96.85	46.01	
	प्रचालन से कुल आय (निबल)	**7,105.60**	**6,704.99**	**6,755.33**	
व्यय					
(क)	ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार (प्रावधानों सहित)	4,466.61	4,779.95	4,284.87	
(ख)	कर्मचारी लाभ व्यय	25.26	21.43	23.03	
(ग)	मूल्यह्रास और ऋणमोचन	1.18	1.74	1.30	
(घ)	अन्य व्यय	175.67	14.09	156.61	
	कुल व्यय	**4,668.72**	**4,817.21**	**4,465.81**	
अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)		**2,436.88**	**1,887.78**	**2,289.52**	
अन्य आय		53.06	82.00	3.77	
असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)		**2,489.94**	**1,969.78**	**2,293.29**	
असाधारण मदें		--	--	--	
कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)		**2,489.94**	**1,969.78**	**2,293.29**	
कर संबंधी व्यय		**777.39**	**710.13**	**717.08**	
(क)	आयकर के लिए प्रावधान				
	चालू वर्ष	661.60	677.04	693.20	
	पूर्ववर्ती वर्ष	0.00	12.54	-0.43	

(ख)	आस्थगित कर देयता / (आस्थगित कर परिसंपत्ति)	115.79	20.55	24.31	
कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)		**1,712.55**	**1,259.65**	**1,576.21**	
असाधारण मदें (कर संबंधी निबल व्यय - शून्य)		--	--	--	
अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)		**1,712.55**	**1,259.65**	**1,576.21**	
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. है)		1,320.04	1,320.04	1,320.04	
पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)		--	--	--	
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य प्रत्येक 10 रू.) (वार्षिक आधार पर निर्धारित न किया गया)					
(क)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले) (रू. में)	12.97	9.54	11.94	
(ख)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	12.97	9.54	11.94	
वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें					

:-

दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की उनकी दिनांक 09.08.2016 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम संयुक्त लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई सीमित अध्यधीन हैं।

उपर्युक्त 2 (क) में उल्लिखित ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभारों में निम्नलिखित के संदर्भ में दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान प्रावधान शामिल हैं :

(i) गैर - निष्पादन ऋण- 110.95 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही में 40.49 करोड़ रू.)। 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार सकल गैर निष्पादन राशि - 7,561.86 करोड़ रू. (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 7,520.21 करोड़ रूपए),

(ii) मानक परिसंपत्तियों की बकाया राशि पर मानक परिसंपत्तियां - 17.91 करोड़ रूपए और संगत पिछली तिमाही में 6.44 करोड़ रूपए,

(iii) पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां - 107.57 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही में 201.34 करोड़ रूपए)। दिनांक 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार अर्हक पुनर्गठन/ पुनर्अनुसूचियन / पुन: मोलभाव (आर/आर/आर) ऋण की राशि निजी क्षेत्र के लिए 22,753.81 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 10,785.73 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए 21,479.20 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 10,78 रूपए), और

(iv) निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन (निबल) 26.94 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही में शून्य)।

जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को परिवर्तित मा जिसके तहत प्रावधान को दिनांक 31.03.2016 को 0.30% से बढ़ाकर 31.03.2017 तक 0.35% तक करने की अपेक्षा है। तदनुसार दिनांक 30.0 समाप्त तिमाही के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ 2 रू. तक घट गया है।

जहां तक आर/आर/आर ऋणों का संबंध है, जिनके संबंध में आरबीआई की शर्तों के अनुसार पुनर्गठन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, के संबंध में चालू लेखांकन नीति को परिवर्तित माना गया है, के लिए प्रावधान को 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 3.50% से बढ़ाकर 31.03.2017 की स्थिति 4.25% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। तदनुसार दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांक इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ 62.89 करोड़ रूपए तक घट गया है।

(i) चालू वित्तीय वर्ष से कंपनी ने नीचे दिए गए पैराओं के साथ पठित, समय-समय पर यथा संशोधित 'व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वि जमा स्वीकारकर्ता अथवा भारत) कंपनियों के लिए सर्वोच्च शर्तें (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015' के लिए दिनांक 01.07.2015 के आरबीआई के मास्टर निहित आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों को अपनाया है।

(ii) आरबीआई की परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तों के प्रचालन हेतु कंपनी ने अपने दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के पत्र के जरिए आ अपनी समझ के बारे में सूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधानकिया गया है कि ऋण परिसंपत्तियों (पट्टे पर परिसंपत्तियों को छ 31.03.2017 को देय हैं और 4 माह या उससे अधिक अवधि के लिए अधिदेय हैं, को गैर निष्पादन वाली परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कि तदनुसार अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, की गणना वर्ष के अंत में की जाएगी।

(iii) आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 1.06.2014 को पत्र के माध्यम से निम्नलिखित के लिए सूचित किया है:

(क) इस संबंध में आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परिय लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात 31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है, और

(ख) आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋण के लिए दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच प्रावधान अंकित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के अलावा किया गया है

आरबीआई के दिनांक 11.06.2014 के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किया गया है कि i) उत्पादन कंपनियों को दिनांक 01.04.2015 से स्वीकृत किए गए सभी नए परियोजना ऋणों को आरबीआई की आर / आर/ आर के आधार पर विनियमित किया जाएगा। ii) दिनांक 31.03.2015 तक पहले से स्वीकृत किए गए उत्पादन कंपनियों के परियोजना ऋणों के संबंध मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर/आर/आर संबंधी शर्तें लागू की जाएं ; और iii) गैर परियोजना ऋणों के संबंध में दिनांक 01.04. 2015 से आर/आ आरबीआई की शर्तें लागू होंगी। आरबीआई ने अपने दिनांक 04.02.2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इस अनुरोध की जांच की कंपनी को आरबीआई से इस संबंध में कोई आगामी निदेश प्राप्त नहीं हुआ है और तदनुसार कंपनी उपर बताए अनुसार आरबीआई को सूचित किए गए के ढंग के साथ पठित आरबीआई के दिनांक 11.06.2014 के निर्देशों के अनुसार आरबीआई की शर्तों का कार्यान्वयन कर रही है। आर/आर/आर संबंधी आरबीआई के विभिन्न निर्देशों के के अनुपालन की स्थिति से आरबीआई को कंपनी द्वारा अपने दिनांक 03.03.2016 के पत्र के जरिए सूचित कि आर/आर/आर संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन और ढंग के बारे में मामले का आरबीआई के साथ फिर से उठाया गया था और दिनांक 25.07.2016 के प विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को भी सूचना दी गई हे। आरबीआई लिए उत्तर कीप्रतीक्षा है।

(iv) क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 16.06.2016 के पत्र के माध्यम से केंद्र / राज्य सरकार के निकायों के वि 31.03.2012 तक एक्सपोजर के संबंध में क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म से छूट प्रदान की है। इस प्रकार कंपनी केंद्र / राज्य सरकार के निकायों के वि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स का अनुपालन करती आ रही है।

दिनांक 01.04.2016 से लेखांकन नीति को आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों के अनुरूप बनाए जाने के पश्चात :

(i) उद्धृत किए गए चालू निवेश का मूल्यांकन पूर्ववर्ती नीति के अनुसार स्क्रिप-वाइज मूल्यांकन की तुलना में श्रेणीवार ढंग से किया गया है। लेखांक इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ 63.65 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है;

(ii) दिनांक 31.03.2016 तक यथालागू 100% एनपीए के साथ '3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदेहास्पद' होने पर किसी ऋण परिसंपत्ति के रू परिसंपत्ति के वर्गीकरण की नीति को 50% एनपीए के साथ 'संदेहास्पद' के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकरण की शर्त द्वारा प्रतिस्थापित माना ज तदनुसार, किसी ऋण खाते पर, जो चालू तिमाही के दौरान 'तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदेहास्पद' के रूप में वर्गीकरण के लिए देया ह के लिए आरबीआई की शर्तों के अनुसार प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ करोड़ रूपए तक बढ़ गया है।

दिनांक 15. 04. 2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17. 06 आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया था। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकर में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंप में पुन: वर्गीकृत किया गया और तिमाही के दौरान खाते में किए गए 33,999 लाख रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया न्यायालय के विचाराधीन है और अंतरिम स्टे जारी है। प्राप्त किए गए उत्तरवर्ती कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर कंपनी ने 31.03.2016 की स्थिति परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में बनाए रखा है और परियोजना की आगामी प्रगति के उद्देश्य से चालू तिमाही के दौरान भी इसके लिए वही रखा गया है।

पूर्ववर्ती वर्ष में पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में खाते के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात

(i) ब्याज से होने वाली 493.14 करोड़ रूपए की आय को अधिदेय होने के कारण वास्तविक आधार पर मान्यता दी गई है (जिसमें चालू तिमाह 164.36 करोड़ रूपए और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 328.78 करोड़ रूपए की राशि शामिल है)। संगत पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान अधिदेय होने के वास्तविक आधार पर स्वीकार की गई ब्याज से होने वाली आय 99.05 करोड़ रूपए है।

(ii) किसी पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के लिए यथा लागू प्रावधान किया गया है, जो दिनांक 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार 156.79 (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 148.82 करोड़ रूपए) है ।

(iii) उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित प्रावधान पर विचार करने के पश्चात दिनांक 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार 4,251.91 करोड़ रूपए की बकाय पर उप मानक के रूप में खाते को मानते हुए किए गए प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है, जो कि 268.40 करोड़ रूपए है।

(iv) दिनांक 30.06.20126 को कंपनी ने अंतरिम स्टे आदेश को निरस्त करने के लिए एक याचिका दायर की है। उपर्युक्त याचिका सुनवाई के है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षा के अनुसार दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरा सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यकलापों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 166.15 करोड़ रूपए (पिछली संगत तिमाही के दौरान 145.79 करोड़ प्रावधान किया गया है।

चालू तिमाही के दौरान उड़ीसा उत्पादन चरण-।। पारेषण लिमिटेड, जो कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (कंपनी के एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक

पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया गया।

चालू तिमाही के दौरान कंपनी ने बिक्री के लिए प्रस्ताव के तहत प्रति शेयर 10 रू. अंकित मूल्य वाले एनएचपीसी के 26,05,42,051 पूर्णत: प्रदत्त इ
खरीदे हैं। ये शेयर 21.78 रूपए प्रति शेयर की लागत से खरीदे गए हैं और एकीकृत रूप से इनका मूल्य 567.50 करोड़ रूपए है।

कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। तत्पश्चात दिनांक 3
की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 1,076.90 करोड़ रू
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 739.74 करोड़ रूपए) है ।

किसी ऋणकर्ता के खाते, जिसे संदेहास्पद ऋण परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, के मामले में कंपनी ने इक्विटी शेयरों के रेहन (बंधक)
किया। तदनुसार प्रमोटरों द्वारा रेहन रखे गए प्रत्येक 10 रूपए मूल्य के 6,57,46,779 इक्विटी शेयर कंपनी को दिनांक 01.06.2016 को स्थानांतरि
हैं। इन इक्विटी शेयरों को 1 रूपए के मूल्य पर मान्यता दी गई है।

इसके अलावा 66.10 करोड़ रूपए की सीमा तक पहले दिए गए उप कर्ज वाले ऋण के आंशिक परिवर्तन पर दिनांक 01.06.2016 को कंपनी को प्रत्ये
मूल्य के 6,61,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। इन शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है। पहले किए गए प्रावधान के
प्रावधान का प्रभाव 46.27 करोड़ रूपए है।

दिनांक 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास ऋणकर्ता कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में 23.23% की शेयरधारिता है। परियोजना
स्थिति के बारे में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट दी जा रही है और ऋणकर्ता कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंधन अ
व्यवसायिक रूप से प्रबंधित टीम द्वारा किया जा रहा है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 जुलाई 2016 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन कंपनी की वर्तमान में प्रा
पूंजी अर्थात 2000 करोड़ रूपए (प्रत्येक 10 रू. के 2,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित) को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपए (प्रत्येक
10,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित) करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है तथा कंपनी के संगम ज्ञापन के पूंजी खंड में संश
करने की अनुमति दी है।

निदेशक मंडल ने अपनी उपर्युक्त बैठक में शेयरधारकों से अगली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में ''प्रतिभूतियां प्रीमियम खाता'' को इस सीमा तक प
बोनस शेयर जारी करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करने हेतु भी सिफारिश की है कि कंपनी का प्रत्येक शेयरधारक एक बोनस शेयर के लिए पात्र
(अर्थात 1:1 के अनुपात में)

व्यापार फंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी क
व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे लेखांकन मानक-17 के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार फंड के रूप में माना जा
इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध / पुन: वर्गीकृत किया गया।

	एम. के. गोयल
ई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश
09.08.2016	डीआईएन - 0023981